संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक/अ.प्र./2016/855 भोपाल, दिनांक 27/05/2016

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी,
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
   मध्य प्रदेश।

विषयः- प्रदेश के चिकित्सालयों में साफ-सफाई व्यवस्था हेतु संशोधित दिशा-निर्देश।
संदर्भः- क्रमांक/अस्प. प्रशा./2016/142 दिनांक 30/01/2016

प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में साफ-सफाई की सुचारू व्यवस्था के संबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गये थे। इसमें लेवल-1 डिलेवरी पांईट संस्थाओं एवं बीमॉक संस्थाओं हेतु कोई व्यवस्था निर्धारित नही की गई थी। इन संस्थाओं में नियमित रुप से प्रसव संपादित कराए जाते है, अतः इनमें भी सफाई कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व मे जारी माप-दण्ड संशोधन किए गये है। इसके अतिरिक्त 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल एवं सीमॉक सी.एच.सी. मे भी सफाईकमर्यिों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। बीमॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं लेवल-1 डिलिविरी पाईंट हेतु अंशकालीन सफाईकर्मियों का प्रावधान किया गया है, संशोधित माप-दण्ड में इनकी संख्या परिशिष्ट-अ पर दर्शाई गई है।

अंशकालीन सफाईकर्मियों की सेवाऐं भी साफ-सफाई हेतु अनुबंधित आउटसोर्सिंग ऐजेंसी के माध्यम से रु 1500/- प्रति माह की दर पर ली जा सकेंगी। साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु जारी अनुबंध की शर्तें पूर्वव्रत ही है जो परिशिष्ट-ब पर पुनः संलग्न है। कृपया इन निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

संचालक (अस्प. प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक/अ.प्र./2016/856 भोपाल, दिनांक 27/05/2016

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ

1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4) संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्य प्रदेश।
5) अपर संचालक, वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।

संचालक (अस्प. प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

परिशिष्ट-अ

स्वास्थ्य संस्थाओं में साफ-सफाई की सुचारू व्यवस्था हेतु संशोधित माप-दण्ड

संस्था का प्रकार	सफाई कर्मियो/सुपरवायजर्स की निर्धारित संख्या		गणना का आधार
	सुपरवायजर्स	सफाईकर्मी	
उप स्वास्थ्य केन्द्र - लेविल 1 डिलेवरी पांईट	0	1 अंशकालीन	कार्य के समय के अनुसार
प्राथ. स्वा. केन्द्र - लेविल 1 डिलेवरी पांईट	0	2 अंशकालीन	प्रातः एवं दोपहर की पाली हेतु प्रत्येक पाली हेतु एक।
प्रा.स्वा.केन्द्र - बीमॉक संस्था	0	4 अंशकालीन	वार्ड एवं लेबर रूम हेतु कुल 3 ओ.पी.डी विंग/परिसर हेतु 1
सी.एच.सी/सि. अस्प. - बीमॉक संस्था	0	4	वार्ड, ओ.टी एवं लेबर रूम हेतु 3, ओ.पी.डी विंग/परिसर हेतु 1
सी.एच.सी (30 बिस्तर) - सीमॉक संस्था	0	5	वार्ड, ओ.टी एवं लेबर रूम हेतु 4, ओ.पी.डी विंग/परिसर हेतु 1
सि. अस्प. (60 बिस्तर तक) - सीमॉक संस्था	0	6	वार्ड, ओ.टी एवं लेबर रूम हेतु 5, ओ.पी.डी विंग/परिसर हेतु 1
सि. अस्प. (100 बिस्तर तक) - सीमॉक संस्था	1	16	वार्ड-8, ओ.टी-3, लेबर रूम-2, ओ.पी.डी विंग-1, प्रायवेट वार्ड एवं परिसर-2
जिला अस्पताल (100 बिस्तर) - सीमॉक संस्था	2	22	वार्ड-10, ओ.टी-3, लेबर रूम-4, ओ.पी.डी विंग-3, प्रायवेट वार्ड एवं परिसर-2
जिला अस्पताल (200 बिस्तर) - सीमॉक संस्था	2	34	वार्ड-20, ओ.टी-3, लेबर रूम-6, ओ.पी.डी विंग-3, प्रायवेट वार्ड एवं परिसर-2

संस्था का प्रकार	सफाई कर्मियो/सुपरवायजर्स की निर्धारित संख्या		गणना का आधार
	सुपरवायजर्स	सफाईकर्मी	
जिला अस्पताल (300 बिस्तर) - सीमॉक संस्था	3	46	वार्ड-27, ओ.टी-5, लेबर रूम-6, ओ.पी.डी विंग-4, प्रायवेट वार्ड एवं परिसर-4
जिला अस्पताल (400 बिस्तर) - सीमॉक संस्था	3	59	वार्ड-39, ओ.टी-6, लेबर रूम-6, ओ.पी.डी विंग-4, प्रायवेट वार्ड एवं परिसर-4
जिला अस्पताल (500 बिस्तर) - सीमॉक संस्था	3	73	वार्ड-52, ओ.टी-6, लेबर रूम-6, ओ.पी.डी विंग-4, प्रायवेट वार्ड-3, परिसर-2
जिला अस्पताल (500 बिस्तर से अधिक) - सीमॉक संस्था	3	92	वार्ड-69, ओ.टी-6, लेबर रूम-6, ओ.पी.डी विंग-4, प्रायवेट वार्ड-3, परिसर-4

नोट : अंशकालीन सफाई कर्मी हेतु रु 1500/- प्र.मा. की दर निर्धारित की जाती है।

संचालक (अस्प. प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

परिशिष्ट-ब

साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु अनुबंध की शर्तें

1. प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध मॉडल टेन्डर डॉक्यूमेन्ट अनुसार खुली निविदा द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाना चाहीए।

2. जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सीमॉक व बीमॉक चिकित्सा संस्थाओं में उपरोक्तानुसार विशेष सफाई व्यवस्था आरंभ की जाये। चिकित्सालयों के शौचालयों, ओ.पी.डी., वार्डों, लेबर रूम व अन्य स्थानों पर दिन में कम से कम चार बार गहन सफाई प्रातः 6 बजे से पूर्व, प्रातः 8 से 9 बजे, अपरान्ह 4 से 5 बजे तथा रात्रि में 9 बजे सुनिश्चित की जाना चाहीए।

3. वार्ड तथा ओ.पी.डी. क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सफाई कराई जाना चाहीए। चिकित्सालय के प्रांगण में भी दिन में दो बार प्रातः 6 बजे व सांय 4 बजे सफाई कराई जाना चाहीए।

4. जिन चिकित्सा संस्थाओं में पूर्व से विभाग अथवा अन्य स्त्रोतों (उदाहरणतः रोगी कल्याण समिति आदि) से सफाईकर्मी नियुक्त हैं तो उतनी संख्या कम करके सफाईकर्मियों की गणना की जाना चाहीए।

5. परिपत्र में दर्शाई सफाईकर्मियों की संख्या केवल सुझावात्मक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन विभिन्न संस्थाओं के लिये निविदा करते समय सफाईकर्मियों की संख्या चिकित्सा संस्था की क्रियाशीलता के आधार पर स्वविवेक से कम कर सकते हैं। सुझाई गई संख्या से अधिक सफाईकर्मी केवल विशेष परिस्थितियों एवं अति आवश्यक होने पर ही सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही रखे जा सकते हैं।

6. मशीनों द्वारा (मेकेनाईज्ड़) सफाई व्यवस्था के लिये निविदा बुलाते समय निविदाकर्ताओं से उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मेकेनाईज्ड़ सफाई व्यवस्था के आंकलन के लिये उनसे एक प्रस्तुतिकरण करवाकर तकनीकी मूल्यांकन किया जाये। तकनीकी रूप से उपयुक्त प्रस्तावों की ही दर निविदा खोली जाये।

7. सामग्री-फिनायल, एसिड, नेप्थलिन बॉल्स आदि की व्यवस्था आउटसोर्स एजेंसी से ही कराई जानी है। निविदा के पूर्व चिकित्सालय/चिकित्सा संस्था में एक वर्ष के लिये आवश्यक सफाई सामग्री का आंकलन कर उसका निविदा में उल्लेख किया जाये तथा टेण्डर में मानदेय के अतिरिक्त कंज्यूमेबल्स की दर प्राप्त करते हुये वास्तविक उपयोग में लाई गई सामग्री की मात्रा के अनुसार एजेन्सी को भुगतान किया जाये। सामान्यतः श्रमिकों पर व्यय की 10-15 प्रतिशत राशि सामग्री पर व्यय की जा सकती है।

8. अनुबंधित एजेन्सी के द्वारा निर्धारित उच्च गुणवत्ता की सामग्री चिकित्सालय/चिकित्सा संस्था के स्टोर में रखाई जायेगी जिसकी एक पृथक स्टॉक रजिस्टर में पृविष्टी में की जायेगी एवं संबंधित एजेन्सी को उनकी आवश्यकतानुसार प्रति सप्ताह/पखवाड़े की आवश्यकता के अनुसार सामग्री आबंटित की जायेगी। आबंटित सामग्री की पृविष्टी भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की जाये ताकि महिने के अंत में एजेन्सी के द्वारा साफ-सफाई हेतु वास्तव में उपयोग में लाई गई सामग्री के आधार पर निर्धारित दर से गणना कर एजेन्सी को भुगतान किया जा सके। स्टॉक रजिस्टर में एजेन्सी द्वारा लाई गई सामग्री की मात्रा, कंपनी का नाम आदि की पूरी पृविष्टी की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि टेण्डर में दर्शाई फर्म/कंपनियों की सामग्री ही प्रदाय की जा रही है। निरीक्षण के दौरान किसी भी जिले /चिकित्सा संस्था में निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री न पाये जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना चाहिए।

9. सेवा प्रदाता को शासकीय श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त सफाईकर्मी/सुपरवाईजर्स से संबंधित ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी, सर्विस टैक्स आदि भी स्वयं वहन करना होगा। निविदा दर में सर्विस टैक्स का पृथक से उल्लेख अनिवार्यतः होगा।

10. मॉडल टेन्डर डॉक्यूमेन्ट अनुसार एजेन्सी द्वारा कर्मचारियों का वेतन- न्यूनतम कलेक्टर दर पर देय होगा। एजेन्सी द्वारा कर्मचारियो के वेतन का भुगतान ई-पेमेन्ट द्वारा ही करया जाये। यदि एजेन्सी द्वारा कर्मचारियों का भुगतान कलेक्टर दर पर नहीं किया जा रहा है तो संदर्भित पत्र क्रं 2 के अनुसार एजेन्सी को 40 प्रतिशत कटौती कर भुगतान किया जाये।

11. एजेन्सी द्वारा सफाईकर्मियों/सुपरवाईजर्स की उपस्थिति बायोमेट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम द्वारा लिया जाना चाहिए।

12. एजेन्सी द्वारा कर्मचारियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चिकित्सालयों में सफाईकर्मी/सुपरवाईजर्स यूनिफॉर्म में रहे एवं नाम पट्टिका लगायें यह सनिश्चित किया जाना चाहिए।

13. चिकित्सालय की साफ-सफाई की व्यवस्था का प्रतिदिन दिन में तीन बार पर्यवेक्षण किया जाये तथा इसके लिये एक नोडल अधिकारी चिन्हांकित किया जाये। जिला चिकित्सालयों के आर.एम.ओ. द्वारा नोडल अधिकारी का दायित्व निर्वहन किया जाये। नोडल अधिकारी प्रतिदिन तीन बार राउंड लेकर सफाई व्यवस्था की जाँच करें तथा इसकी लिखित रिपोर्ट सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सक के समक्ष प्रस्तुत करें। निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी सुनिश्चित करें कि निर्धारित संखया में सफाईकर्मी उपस्थित हैं तथा साफ-सफाई की सामग्री उच्च गुणवत्ता की है।

14. मॉडल टेण्डर डॉक्यूमेन्ट की निविदा शर्तों में पेनाल्टी के कड़े प्रावधान किये गये हैं। पर्यवेक्षण के दौरान कोई भी कमी पाये जाने पर प्रावधान अनुसार पेनाल्टी लगाई जाये। इस हेतु निविदाकर्ता से वार्षिक निविदा राशि की दस प्रतिशत राशि के समतुल्य परफार्मेंस बैंक गारंटी के रूप में ली जाये।

15. जिला एवं सिविल अस्पतालों में सफाई व्यवस्था के लिये राज्य बजट से स्कीम 1473 के मद क्रं. 31-006 के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराई गई है। शेष बीमॉक, सीमॉक संस्थाओं व जिला अस्पतालों के लिये एन.आर.एच.एम. से उपलब्ध कराई गई राशि से भुगतान किया जाये।

16. जिन जिलों में मॉडल टेंडर डाक्यूमेंट के अनुसार आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से व्यवस्था नहीं की गई है, अथवा जिन जिलों में अगामी तीन माह में साफ-सफाई का अनुबंध समाप्त हो रहा है, उन जिलों में उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार नए सिरे से निविदा कर व्यवस्था की जायें।

17. जिन जिलों में निविदा प्रक्रियाधीन है, निविदा में इन निर्देशों में मापदण्ड अनुसार दर्शायी संख्या के अनुरुप ही संस्थाओं में सफाईकर्मियों/सुपरवाईजर्स का अनुबंध किया जाना चाहिए।

18. जिन जिलों में अनुबंध समाप्त होने में तीन माह से अधिक समयावधि शेष है,उन जिलों में भी एजेन्सी को निर्देशित करते हुए उपरोक्त दिशानिर्देशों में दर्शाई संख्या अनुसार ही कर्मचारी रखें जाये।

19. यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है, कि 1/02/2016 से समस्त जिलों की संस्थाओं में आउटर्सोस एजेन्सी के माध्यम से साफ सफाई कर्मचारी इन निर्देशों (उपरोक्तानुसार) में दी गई संख्या में ही रखी जाना चाहीए।

संचालक (अस्प. प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश